Golden Research Thoughts
International Recognition Multidisciplinary Research Journal
RNI : MAHMUL/2011/38887
ISSN No: 2231-5063
Impact Factor 3.4052 (UIF) [Yr.2014]

ISSN 2231-5063 Impact Factor : 3.4052(UIF) Volume - 5 | Issue - 7 | Jan - 2016

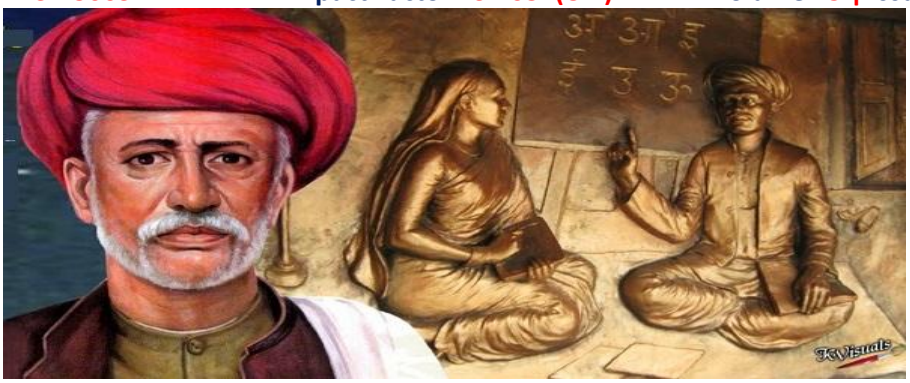

Birodevi Krishan Ramotra

ज्योतिबा फलेजी के साहित्य में नारी जीवन के समस्याओं का चित्रण

Birodevi Krishan Ramotra
Post-Doctorate Scholar, Dept. of Hindi, Adarsh College, Vita,
District Sangli.

सारांश :

ज्योतिबा फले के समय स्त्रियों के पास अधिकार नहीं थे। शक्ति का आधार उस समय पुरुष ही था । परिवार में महत्त्वपूर्ण फसले पुरुषही लेता था। स्त्री की अपनी कोई पहचान नहीं थी। बच्चों को जन्म देने से लेकर उनकी देखभाल करना, खाना पकाना तथा अन्य घरेलू गतिविधियों में ही स्त्री के कार्यक्षमता को सीमित समझा जाता था। अज्ञानता के कारण बालविवाह, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल विवाह, विधवा विवाह वर्जित, सती प्रथा, अशिक्षा, आर्थिक तंगी इनसब समस्याओं के कारण नारी का जीना बेहाल था।

प्रस्तावना :

नारी है तो समाज है। समाज है तो उसका धर्म और शील, शुचिता है। उसकी मर्यादा समाज को स्थिरता प्रदान करती है। महिलाओं को समाज में शांतिप्रिय सहृदय सामाजिक व्यवस्था की निर्माती माना जाता है। भारत में महिलाओं को प्रेम, बलिदान तथा विनम्रता के प्रतीक के रूप में सराहा गया है। इसके बावजूद यह एक विडम्बना है कि महिलाओं को उपासनीय के बजाय त्याज्य का दर्जा ही मिला है। ज्योतिबा के समय, स्त्रियों के पास अधिकार नहीं थे। स्त्रियों का धर्म मायके में पिता की हार आज्ञा का पालन करना था, शादी के बाद पति की गुलामी करनी पडती थी। लडकियों को न के वरावर पढाया जाता था। उस समय की धारणा थी कि यादि नारियों को शिक्षा दी तो वह कुमार्ग पर अग्रसर होंगी। इतना ही नहीं वह अल्पकाल में ही विधवा होंगी। इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण स्वाभाविक तौर पर लडकियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान ही नहीं देना चहता था। फले जी के साहित्य में नारी संबंधी समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

१. विवाह २.बहुपत्नीप्रथा ३. बालविवाह ४. बेमेल विवाह
५. विधवा विवाह ६. अशिक्षा ७. आर्थिक तंगी

१. विवाह :

विवाह एक ऐसी सामाजिक परंपरा है जो आपसी समझ व आत्म स्वीकारता पर आधारित है। इसमें प्रवेश व इसमें टिके रहने के लिए आपसी समझदारी अपनी व अपने साथी की सीमाओं एवं क्षमताओं का ज्ञान और आपसी विश्वास बहुत ही आवश्यक है। यह

मानवी समाज की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है जो स्त्री-पुरुष सम्बन्ध संतति का सामाजिक सम्बन्ध, परिवार संस्था का नियन्त्रण, नीति का प्रभाव आदि पर जोर देती है।''धर्म तथा प्रजा संपत्ति यह विवाह का प्रयोजन माना गया है।''

२. बहुपत्नी प्रथा :

''बहुप्रजा की वासना से यह पद्धति निर्माण हुई।'' इसके दो कारण थे- १. प्रबल भोगेच्छा, २. विपुल संतति की इच्छा। इस प्रथा के कारण थे-

१. अधिक पुत्रों का धार्मिक महत्त्व
२. बाल विवाह
३. स्त्रियों में शिक्षा का अभाव
४. स्त्रियों को शूद्रों की तरह मानने की प्रवृत्ति
५. स्त्रियों का पुरुषों पर ज्यादा अवलंबन
६. पुरुषों की प्रबल भोगेच्छा।

फले जी के अनुसार ''बहुपत्नीत्व की प्रथा के कारण पुरुष की दो-दो, चार-चार पत्नियाँ हुआ करती थीं और एक से अधिक पत्नियाँ होना पुरुष के लिए शान की बात समझी जाती थी लेकिन विवाहित महिला को पति से अलग हो जान की अनुमति नहीं थी।''

अब व्यक्ति स्वातन्त्रय, आर्थिक स्थिति तथा बहुभार्या विरोधक कानून के कारण यह प्रथा सीमित हुई है।

३. बालविवाह :

हमारे देश में विवाह के परिप्रेक्ष्य में कई तरह की परम्पराएँ, रीति-रिवाज प्राचीन समय से ही प्रचलित हैं। इनमें से कई रिवाज व पद्धतियाँ अच्छी एवं स्वीकार करने योग्य हैं तथा कई ऐसे हैं जो निजी तौर पर व्यक्ति, समाज व विवाह संस्था के लिए घातक है। उदाहरण के तौर पर बालविवाह फले जी के काल में लडकी को अपने मां-बाप के आदेशानुसार शादी करनी पडती थी। बहुत छोटी उम्र में लडकियों की शादी कर दी जाती थी। बाल्यावस्था से लडकी किशोरावस्था की तरफ कदम भी नहीं बढा पाती थी कि उसे डोली में बैठाकर ससुराल को विदा कर दिया जाता था । उस समय लडकी की शादी की उम्र अधिकतर नो-दस साल हुआ करती थी। दूल्हे की उम्र का कोई मेल जरूरी नहीं था। दूल्हा चाहे पन्द्रह का हो सत्रह का हो या फिर साठ साल का बूढा। जिससे भी पिता अपनी बेटी का रिस्ता तय कर देता था, लडकी को चुपचाप उसके पल्लू के साथ बँध जाना होता था। पति की हर बात उसे माननी पडती थी। फले जी स्वयं इस प्रथा के शिकार हुए थे। फले जी के अनुसार अधिकतर बाल-विवाह गांवों-कस्वों में ही संपन्न होते हैं। बाल-विवाह का सीधा संबंध शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक चेतना से जुडा है। हमारी अर्थव्यवस्था और शिक्षा नगरोन्मुखी है। गांवों तक न आर्थिक विकास पहुँचा और न ही शिक्षा इसके कारण औस्त ग्रामीण गरीबी, शिक्षा और अवसर के अभाव में आम व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फसा हुआ है।

बाल-विवाह एक सामाजिक बुराई है। इस समस्या के साथ सतीप्रथा, केशवपन, अनमेल-विवाह, प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, परित्यक्ता की समस्या, सहवास की समस्या, लडकियों की शरीर सम्पदा का विनाश और उसकी असामयिक मौत, बाल विधवा की समस्या, वेश्य प्रथा और अनीति तथा दुराचरण जैसी कई समस्याएँ पैदा होती हैं। बाल-विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राजाराम मोहनराय, महात्मा ज्योतिबा फले, गविन्द रानाडे आदि कई लोगों ने समाज म जागृति निर्माण करने का कार्य किया। ज्योतिबा फले जी के अनुसार बाल विवाह के कारण स्त्री-शिक्षा में बाधा आती है, अगली पीढी कमजोर बनती है। लडकियों का जीवन तथा शरीर संपदा का नाश होता है, अल्पकाल में वैधव्य प्राप्त होता है। बाल विवाह का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव लडकी पर पडता है। यह वह लडकी या औरत, जिसे हमारा पुरुषप्रधान समाज दुय्यम दर्जे से उपर आने नहीं देना चाहता। इसके परिणाम स्वरूप लडकी को बोझ मानने वाला समाज बेटे-बेटी में भोजन और इलाज के स्तर पर भी भेद-भाव कम उम्र में शादी और फिर बच्चों के उत्पादन की एक मशीन बनाकर उसके जीवन को ऐसे अंधे कुएँ में ढकेल देता है कि अंधेरे में सिर मारते हुए बिल्कुल खामोशी से मौत को गले लगाने के अतिरिक्त लडकी के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता।

फले जी के अनुसार कच्ची उम्र में ब्याह कर लडकियों के इरादे कमजोर हो जाते हैं। बचपन में शादी और परिवार की जिम्मेदारी उनको पुरुषों पर आश्रित बनाती जाती है। पढने-लिखने की उम्र में लडकियों पर पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को डालना ठीक नहीं है। विवाह वह नींव है, जिस पर परिवार का निर्माण होता है। यदि नीवं ही कमजोर होंगी तो परिवार मजबूत और सुखी नहीं रह सकता।

४. बेमेल विवाह :

ज्योतिबा फले जी के काल में बाल-विवाह के साथ-साथ बेमेल विवाह होते हुए भी नजर आते हैं, जिनमें वर पुनर्विवाहित होता था तो वधु कुमारिका होती थी। इसके विषय में लोकहितवादी कहते हैं कि यदि नारियों को स्वसत्ता के अनुसार विवाह करने दिए जाएँ तो क्या वे ऐसे प्रेतरूप पुरुषों को चुनेगी? बेमेल विवाह में मूल्य देकर लडकी खरीदी जाती है। यह पैसा अगर उसके ही नाम पर रखा जाए तो उसके बाल-विधवा बनने पर वह काम आ सकता है

५. विधवा विवाह :

बाल विवाह का एक अपरिहार्य हिस्सा यानी स्त्री का विधवा होना। यह जीवन सुसह्य बनाने के लिए उसे जप, तप, व्रत, उपवास रखने के लिए कहा जाता है। कभी उसकी अवस्था का विपरीत फायदा घर के अथवा बाहर के लोग उठाते हैं और उसे अनीतिमान ठहराया जाता है। विधवा होने पर दूसरे उसकी और न देखे इसलिए उसका धर्म के नाम पर केशवपन किया जाता था। उससे मुक्ति दिलाने के लिए ज्योतिबा फले जी ने पूना के नाईयों के द्वारा हडताल करायी थी। ''सन १८८८ में सेठ मलबार जी ने तीस साल के अन्दर होने वाली विधवा स्त्रियों की संख्या इक्कीस लाख बतायी है।''

सन १८५४ में शंकराचार्य के द्वारा विधवाओं की दी गई सजाएँभी क्रोध दिलाने वाली हैं। छोटी उम्र के कारण कुछ विधवाएँ कामवासनों के आधीन हो जाती थी और उनसे भ्रूणहत्या का प्रसंग निर्माण होता था। कुछ वाममार्गी बनती थी। इसलिए ज्योतिबा फले जीने अपने ही घर में बालहत्या 'प्रतिबंधक गृह' की स्थापना की। उसके पश्चात रा. ब. लालशंकर उमीयाशंकर जी ने पंढरपूर में बालहत्या (प्रतिबंधक गृह) की स्थापना की। ''लडकी भले ही दस साल की उम्र में शादी करके अगले दिन ही विधवा हो जाएँ, उसे जीवन भर विधवा बनकर ही जीना होता था। विधवा का जीवन नीरसकर दिया जाता था। ना वो रंगीन कपडे पहन सकती थी, न ही सज सँवर सकती थी।'' नही द्वारा शादी कर सकती थी परन्तु यह बंधन पुरुषों के लिए नहीं थे। वह कितनी भी शादी कर सकते थे।

६. अशिक्षा :

साक्षरता किसी भी देश के विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसा सशक्त साधन है, जिसके माध्यम से मानव समाज में चेतना जागृत कर उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र उच्च स्तरीय पूर्ण विकसित जनसमूह का पर्याय नहीं बन सकता। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उनकी आत्मछवि सँवरती -सुधरती है। दुर्भाग्यवश ज्योतिबा के समय शिक्षा न के बराबर थी। केवल उच्च घरानों के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्राह्मणों को छोड अन्य वर्णों के लोगों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। शास्त्रों को पढना और सुनना तक निषिद कर दिया गया था। शूद्र वेद नहीं सून सकते थे। यदि कोई शूद्र वेद सुन भी ले तो अछूत के कानों में खौलता तेल डलवाकर उसे बहरा कर देने की सजा दी जाती थी। शूद्रों को पढने-लिखने का अधिकार नहीं था । उस समय अशिक्षा के कारण ही बाल विवाह होते थे, जिसके कारण लडकियाँ पढ नहीं सकती थी। न ही उस समय ऐसे साधन थे कि लडकियाँ स्कूल जा कर शिक्षा ग्रहण कर सके।

मध्ययुग में जब विदेशियों ने आक्रमण किया तब बडी संख्या में स्त्रियों के अपहरण के कारण उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें घर के अन्दर रखने की प्रथा ने जन्म लिया। महिलाओं को सिफ घर -गृहस्थी के कामों मे ही दक्ष होना आवश्यक माना जाने लगा था। इसलिए लडकियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। उस समय गाँव के आस-पास कहीं कन्या माध्यमिक विद्यालय भी नहीं थे। हमारा देश अनेक सामाजिक रूढियों व अन्ध-विश्वासों से ग्रसित है ओर शिक्षा के अभाव के फलस्वरूप अधिकांश देशवासी प्राचीन परम्परा के विचारों के कट्टर समर्थक हैं बालिकाओं को पढाने की कोई आवश्यता नहीं है क्योंकि अंतत: उन्हें विवाह कर पति के घर जाना ही है। उनके कारण भी स्त्री-शिक्षा के प्रयास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

७. आर्थिक तंगी या जन-सामान्य की गरीबी :

ज्योतिबा फ्ले जी के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। पूरा परिवार मेहनत मजदुरी करके अपना पेट पालता था। उनके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वे अपने बच्चों पर खर्च कर सके। न ही उस समय गाँव में विद्यालय थे।

संदर्भ सूची :

१. पं. महादेवशास्त्री जोशी, भारतीय संस्कृती कोश: आठवाँ खण्ड, पृष्ठ ७१४-७१५. भारतीय संस्कृति कोश मण्डल, ४१०, शनिवार पेठ, पुणे २
२. वही, पृष्ठ १०२-१०३
३. मुरलीधर जगताप युगपुरुष महात्मा फले, पृ. ११, महात्मा फले चरित्र साधने प्रकाशन समिती महाराष्ट्र शासन द्वारा शिक्षा विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०००३२, प्रथम संस्कारण १९९३.
४. मूल लेखक प्रतिभा रानडे स्त्री प्रश्नाची चर्चा : १९ वे शतक पृष्ठ १६८-२८३
मीना खाडीलकर हिन्दी एवं मराठी निबन्धों में नारी से उद्धृत पृ. १४ रोल प्रकाशन, कानपूर २०८०२२, संस्कारण प्रथम २००३ ई.
५. जोगेन्द तिलगौडिया महात्मा ज्योतिबा फले पृष्ठ १५, रवि पब्लिकेशन्स ३३, हरिनगर, मेरठ २५०००२